

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1708/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-293-उ० प्र० अधि०-1-2017-आदेश-(354)-
2025

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 54 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल एतद्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करते हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, अर्थात्:-

- (क) कोई भी व्यक्ति, जिसने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 10 ख के अधीन आधार अधिप्रमाणन नहीं कराया है;
- (ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अधीन आने वाली, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली वस्तुओं की पूर्ति में लगा हुआ है:

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक / टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू के विकल्प
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरण.-

- (i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "शीर्षक", "उपशीर्षक", और "अध्याय" का तात्पर्य, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय से होगा;
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय नोट और प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक नोट सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
Digitally signed by
M DEVARAJ
(रमेश देवराज)
Date: 20-09-2025
17:19:47
प्रमुख सचिव